न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/213

सिविल प्रकरण संख्याः– 97/2024 तारीख रजू 12.11.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

श्योदास सैनी पुत्र श्री हीरालाल सैनी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स कोटा कचौरी मिष्ठान भण्डार, बम्बोरी चौराहा, खेरदा, सवाई माधोपुर निवासी– माली मोहल्ला, पीपलवाडा, खिजूरी सवाई माधोपुर – 322001

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 09.12.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 19.08.2024 को दोपहर 01.00 पी.एम. पर मैसर्स कोटा कचौरी मिष्ठान भण्डार, बम्बोरी चौराहा, खेरदा, सवाई माधोपुर पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम श्योदास सैनी पुत्र श्री हीरालाल सैनी फर्म का विक्रेता एवं प्रोपराईटर होना बताया। श्योदास सैनी ने मौके पर फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं आधार कार्ड होना बताया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु **Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar** काउन्टर पर रखी थी। **Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar** में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम **Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar** खरीदकर उसकी कीमत 800/– रूपये विक्रेता श्योदास सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान हरिकेश माली के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Mawa [illegible] ets made from Mawa and Sugar** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर [illegible] बोतलों को ढक्कन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:05 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-3380** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **H-3380** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्योदास सैनी ने भी पढकर, समझकर व सहीमानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता श्योदास सैनी को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2024/963 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3347/एक्ट/2024/3224 दिनांक 30.08.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar**, **Sub Standard** as the extracted fat does not conform to the stansdards of milk fat as prescribed under food safety and standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011. The Sample is also food containing extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006. प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा Sub-Standard & Extraneous Matter, **Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar** का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने Sub-Standard & Extraneous Matter, **Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की फर्म से मावा बर्फी का सेम्पल लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट में बी आर रीडिंग के अनुसार मावा बर्फी में आंशिक रूप से फोरेन फेट का होना बताकर के सेम्पल को सबस्टेण्डर्ड माना गया है। बहस में यह भी तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सेम्पल लेब में भेजा गया था उसकी बी आर रीडिंग आफ एक्सट्रेक्टेड फेट एट 40^0 सेन्टीग्रेट में 43.8 बताया है जबकि लेब रिपोर्ट के अनुसार 40.0 से 44.0 तक सही होना अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी का नमूना गलत रूप से फोरेन फेट होना दर्शाया गया है। अभियुक्त ने बहस में यह भी तर्क दिया कि लेब रिपोर्ट में रिचार्ट वैल्यू ऑफ एक्सट्रेक्टेड फेट का मानक स्तर न्यूनतम 24.0 है जबकि नमूने के परिणाम [illegible]2 बताया है जोकि अलग–अलग पशुओं जैसे गाय भैस बकरी आदि का सम्मिलित दूध होने के कारण फेट की मात्रा कम होने के कारण आया है। अभियुक्त ने बहस में यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी छोटा मोटा व्यवसायी है तथा दूध वालो से दूध लेकर दूध का मावा एवं अन्य मिठाईयों का निर्माण करता है। प्रार्थी भविष्य में उचित फेट वाले दूध का इस्तेमाल करेगा। अन्त में अभियुक्त ने प्रार्थी की गलती को क्षमा करते हुए प्रकरण में न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3347/एक्ट/2024/3224 दिनांक 30.08.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अपना अपराध स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi Sweets made from Mawa and Sugar** का विकय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:33:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner